113

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3463–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 224/2015–16/अपील.

.....

लक्ष्मनसिंह राठौर पुत्र श्री कुंवरसिंह राठौर
निवासी चौथी पत्थर इंदौर
हा0मु0 10/2 तम्बोली बाखल मल्हारगंज,
इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

महेश कुमार पुत्र श्री रामनारायण
निवासी 555, कालानी नगर, इंदौर म.प्र.

..... अनावेदक

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–03–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हातोद के समक्ष नामान्तरण पंजी कमांक 69 पर पारित आदेश वर्ष 2000–01 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 28–2–14 को लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–4–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार

किया जाकर संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर हेतु दिनांक 30–4–2014 की तिथि नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के दिनांक 16–4–14 को पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाकर दिनांक 11–2–16 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–3–16 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश के विरूद्ध समय सीमा लागू नहीं होती है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कारण बताया गया था कि आवेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी बैंक से ऋण लेने के लिये जब खसरा खतोनी की नकल निकलवाने पर हुई उसके बाद समय सीगा में अपील प्रस्तुत की गई जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि समय सीमा जैसे तकनीकी आधार पर तहसील न्यायालय का पूर्णतः अवैधानिक आदेश को स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायाल में अनावेदक को कैसे स्वत्व प्राप्त हुये है यह भी प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश की पुष्टि करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई

है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत विधिक स्वत्व प्राप्त होने पर ही नामान्तरण किया जा सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा की गई नामान्तरण की कार्यवाही के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है तथा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में भी दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण भी नहीं बतलाया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार तहसील हातोद के नामान्तरण प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी हातोद के समक्ष प्रस्तुत करते हुये अपील प्रस्तुती में हुये विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो अनुविभागीय अधिकारी हातोद द्वारा दिनांक 16–04–2014 को स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी का आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक 23–02–2015 से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी हातोद का नामान्तरण आदेश निरस्त करते हुये अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर विस्तृत आदेश पारित करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी हातोद को दिये गये। तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी हातोद द्वारा परिसीमा के आवेदन पत्र पर विचार किया। आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि नामान्तरण पंजी क्रमांक 69 वर्ष 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 28–02–2014 के विरूद्ध अपील लगभग 13 वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कोई पर्याप्त एवं समाधान कारक

कारण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में लम्बे समय पश्चात् प्रस्तुत अपील में हुये विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में 1992 आर.एन. 289 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि धारा 5 व्याप्ति अधिकारिता की प्रकृति वैवेकिक है, पक्षकार विलंब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है पर्याप्त कारण का सबूत अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है। न्यायालय अपनी अंतनिर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बढा सकता। उपरोक्त स्थिति पर विचार करने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 23–2–2015 में जो निर्देश दिये थे उनके परिप्रेक्ष्य में भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में परीक्षण कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाले हैं । कब्जे तथा लगान के संबंध में पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि कब्जा अनावेदक का है तथा लगान भी वही जमा कर रहा है । आवेदक ने अपनी ओर से कोई खण्डन साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस तथ्य से भी आवेदक को आदेश की जानकारी होने की पुष्टि होती है। अनावेदक ने नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति भी पेश की है जो अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में लगी है । जिससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि तहसील का पंजी पर आदेश था तथा बाद में पंजी के पृष्ठ नष्ट किये गये हैं। हस्तलिपि विशेषज्ञ से जॉच के लिये आवेदक को भत्ता भरने का अवसर भी दिया गया, लेकिन आवेदक ने इसमें रूचि नहीं ली । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये है वह तथ्यों पर आधारित हैं । तत्पश्चात् अपील किये जाने पर अपर आयुक्त इन्दौर द्वारा भी उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो पर विधिवत् विचार कर अपने आदेश दिनांक 15–03–2016 द्वारा इसकी पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किये जाने का

कोई कारण वर्तमान प्रकरण में नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–03–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी हातोद जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–02–2016 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर